न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09/2023

दायर दिनांक 01.02.2023

उनवान

1. किशनलाल पिता माधुलाल जी शर्मा ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी कालसांस पटवार हल्का रीछड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा

विपक्षी

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी भैरूलाल जी बापना
अधिवक्ता प्रार्थी विपुल बापना

—: वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीए व धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट :—

—: निर्णय :—

दिनांक 26.03.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछड़ा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः— क्रमशः 1470/1, 1471, 1472, 1474 कुल किता 04 रकबा 1.0748 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी का नाम देवकिशन पुत्र माधु लाल ब्राहम्ण दर्ज रेकार्ड हैं। जबकि इसी ग्राम की आराजी संख्या 1182, 1183, कुल किता 02 कुल रकबा 0.4552 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का नाम किशन लाल पुत्र माधु लाल ब्राहम्ण दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका की फोटोप्रति,, निर्वाचन पहचान पत्र की फोटोप्रति, परिवार राशन कार्ड की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत खेडलिया का प्रमाण पत्र एवं आबादी भूमि का पट्टा, ग्राम पंचायत खेडलिया का पट्टा की फोटोप्रति संलग्न प्रस्तुत की है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए देवकिशन पिता माधुलाल ब्राहम्ण के बजाय किशन लाल पिता माधु लाल ब्राहम्ण दुरूस्त कराने की प्रार्थना की है। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार ने

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

र्थना पत्र के स्वीकार करने में कोई आपती प्रकट नहीं की है। वादी/प्रार्थी ने प्रकरण में वाद के साथ धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की जोडे जाना संबधि प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल फाईल किया गया।

प्रार्थी के वाद/ प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम कालसांस के आराजी नम्बर 1470/1, 1471, 1472, 1474 कुल किता 04 रकबा 1.0748 हैक्टेयर में देवकिशन पुत्र माधु लाल ब्राहम्ण दर्ज है। तथा इसी ग्राम की आराजी संख्या 1182, 1183, कुल किता 02 कुल रकबा 0.4552 हैक्टयर भूमि जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में किशन पुत्र माधु लाल ब्राहम्ण दर्ज रेकार्ड है। अतः ग्राम कालसांस के खाता संख्या 68 में अंकित नाम किशन लाल पिता माधु लाल ब्राहम्ण दर्ज होने के आधार पर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम खाता संख्या 202 में देवकिशन पुत्र माधु लाल ब्राहम्ण के बजाय किशन पिता माधु लाल ब्राहम्ण दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतएव

<u>आदेश</u>

वादी/प्रार्थी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीए एवं धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार है:– कमशः 1470/1, 1471, 1472, 1474 कुल किता 04 रकबा 1.0748 हैक्टेयर भूमि की जमाबन्दी में अंकित नाम देवकिशन पिता माधु लाल ब्राहम्ण के बजाय किशन लाल पिता माधु लाल ब्राहम्ण नाम परिवर्तन करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्तानुसार ईन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

आज दिनांक 26.03.2024 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा